[15/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 3581]

परिशिष्ट 'अ'

नरेगा अंतर्गत कार्यों की जानकारी प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया

महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को मांग के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवाने वाली योजना है https://nrega.nic.in/MGNREGA_new/Nrega_home.aspx

↓

रिपोर्ट 6.12 पर जाकर वर्क कोड कापी कर डबल सर्च करने पर जानकारी देखी जा सकती है साथ ही रिपोर्ट पर 6.12 में प्रदर्शित सभी कार्यो का DPR हेतु 8.3.4पर जाए

↓

एवं उपरोक्तानुसार साईट पर मध्यप्रदेश के नक्शे पर क्लिक करें फिर जिले का चयन करें

↓

वित्तीय वर्ष तथा Works अंतर्गत Works under diffrent category/status का चयन करें

↓

विधानसभा अंतर्गत किसी एक विकासखण्ड में जाके जिस श्रेणी के कार्यो की जानकारी चाहिए उसके पूर्ण,प्रगतिरत,स्वीकृत,प्रस्तावित सभी कार्यो की सूची देखी जा सकती है ।

↓

पूर्ण व प्रगतिरत कार्यो में श्रम व सामग्री व्यय मस्टररोल वार व बिल वार आदि जानकारी देखी जा सकती है

एस. एस. डावर
अधीक्षण यंत्री
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल (म.प्र.)

परिशिष्ट 'ब'

अधिकारी /कर्मचारी के कार्यो के निरीक्षण की जानकारी हेतु फ्लोचार्ट

https://areaofficer.nic.in/home

↓

Reports का चयन करें

↓

Central officials, State official , District officials and Block official की पृथक पृथक रिपोर्ट उपलब्ध है

↓

इस हेतु :- राज्य ,जिला,स्कीम जिस तिथी का देखना हो उसका चयन करें

↓

Designation wise Reports हेतु उस रिपोर्ट का चयन करें

↓

MGnrega के आफिसर हेतु उस लिंक का चयन करें तिथी अनुरूप उपरोक्तानुसार चयन करें जिसमें विकासखण्ड वार जानकारी उपलब्ध है ।

एस. एस. डावर
अधीक्षण यंत्री
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल (म.प्र.)

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन (सी ब्लॉक–द्वितीय तल), 59–अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

क्रमांक 614 /MGNREGS-MP/NR-1/2021 भोपाल दिनांक 02/06/2021

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जिला पंचायत – समस्त।

विषय – मनरेगा योजना अंतर्गत प्रचलित निर्माण कार्य के निरीक्षण के संबंध में।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत मनरेगा योजना के प्रचलित निर्माण कार्यों / पूर्ण कार्यों के फोटोग्राफ्स / वीडियो को देखने पर पाया गया, कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्राक्कलन के अनुरूप नहीं है एवं कतिपय फोटो में तकनीकी ले–आऊट के अभाव में या समुचित तकनीकी मार्गदर्शन न दिये जाने से कार्य की उपयोगिता मौके पर सिद्ध नहीं हो रही है।

अतः कार्य की गुणवत्ता प्राक्कलन के अनुरूप एवं उपयोगिता सिद्ध करने हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं –

1. सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अपने क्षेत्र अंतर्गत शत–प्रतिशत निर्माण कार्यों का निरीक्षण कार्य के प्रारम्भ तथा मध्य में कम से कम दो बार करेंगे।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मनरेगा अंतर्गत 50% कार्यों का निरीक्षण करेंगे।
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अनिवार्यता राशि रू. 5.00 लाख से अधिक के कार्यों का 25% निरीक्षण एवं राशि रू. 5.00 लाख से कम कार्यों का 10% निरीक्षण करेंगे।

उक्त अधिकारी उपरोक्तानुसार निरीक्षण करते हुये संलग्न प्रारूप पर प्रत्येक सप्ताह अनिवार्यतः जानकारी प्रस्तुत करेंगे। उक्त जानकारी आपके स्तर पर जनपदवार संकलित की जाकर राज्य स्तर पर प्रेषित की जावे। कार्य की गुणवत्ता एवं उपयोगिता पर स्पष्ट टीप दी जाकर प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा। कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर अथवा कार्य उपयोगी न पाये जाने पर ग्राम पंचायत एवं उपयंत्री, मनरेगा से बराबर की राशि वसूल की जावेगी। यदि सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा किसी स्तर पर कार्य की **गुणवत्ता** एवं उपयोगिता के संबंध में टीप संतोषजनक दी जाती है। तदोपरान्त राज्य स्तर / अन्य स्तर द्वारा निरीक्षण करने पर यह पाया जाता है, कि कार्य अनुपयोगी एवं गुणवत्ताहीन है, तो प्रतिवेदितकर्ता अधिकारी के विरूद्ध कर्यवाही की जावेगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें एवं जानकारी निर्धारित प्रारूपों में भिजवाना सुनिश्चित करें।

01/06/21

(सूफिया फारूकी (वली))
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

एस. एस. डावर
अधीक्षण यंत्री
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल (म.प्र.)